फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री चांद मोहम्मद पिता श्री जमाल मंसूरी निवासी जीतावास तहसील, रेलमगरा जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 11/2022

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदार, रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदार, रेलमगरा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा द्वारा जरिये क्रमांकः RTI/2022/42 दिनांक 21.02.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील की गई। परंतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक के द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 14.02.22 को ही प्राप्त हुआ है तथा श्रीमान का नोटिस दिनांक 16.02.2022 को प्राप्त हुआ है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र द्वारा चाही गई सूचना की समय अवधि पूर्ण नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा द्वारा जरिये क्रमांकः RTI/2022/43 दिनांक 21.02.2022 से अपीलार्थी श्री चांद मोहम्मद नि. जीतावास को अवगत कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 27.12.2021 से 30.12.2021 तक खसरा नं. 1746,1944,1745,1750,1751,1755,1756 में प्रवेश कर खातेदारी भूमि को जेसीबी एवं आपके साथ लेकर खेतो को तोड फोड कर नुकसान पहुँचाया है, ये आदेश किसके द्वारा दिये गये है कि प्रति दिलाने से संबंधित सूचना तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तथा सिंचाई विभाग द्वारा नहर को ठीक करने हेतु कानून व्यवस्था को मध्यनजर रखते वहां पर गये थे । हमारे द्वारा किसी प्रकार से कोई तोड फोड नुकसान कारीत नहीं किया गया है। अगर किसी आदेश के संबंध में जानकारी चाहते है तो सिंचाई विभाग से प्राप्त कर सकते है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा जरिये क्रमांकः आर.टी.आई./2022/59 दिनांक 25.03.2022 से उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमायी जाने हेतु अनुरोध किया है।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदार, रेलमगरा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी – तहसीलदार, रेलमगरा की क्रमांक RTI/2022/42 दिनांक 21.02.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा सू.अधि.अधि.2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील की गई। परंतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक के द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 14.02.22 को ही प्राप्त हुआ है तथा श्रीमान का नोटिस दिनांक 16.02.2022 को प्राप्त हुआ है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा जरिये क्रमांकः RTI/ 2022/43 दिनांक 21.02.2022 से अपीलार्थी श्री चांद मोहम्मद नि. जीतावास को अवगत कराया कि सू. अ. अधि. 2005 के अंतर्गत दिनांक 17.12.2021 से 30.12.2021 तक खसरा नं. 1746,1944,1745,1750,1751,1755,1756 में प्रवेश कर खातेदारी भूमि को जेसीबी एवं आपके साथ लेकर खेतो को तोड फोड कर नुकसान पहुँचाया है, ये आदेश किसके द्वारा दिये गये है कि प्रति दिलाने से संबंधित सूचना तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तथा सिंचाई विभाग द्वारा नहर को ठीक करने हेतु कानून व्यवस्था को मध्यनजर रखते वहां पर गये थे। हमारे द्वारा किसी प्रकार से कोई तोड फोड नुकसान कारीत नहीं किया गया है। अगर किसी आदेश के संबंध में जानकारी चाहते है तो सिंचाई विभाग से प्राप्त कर सकते है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्धारित समयावधि में नहीं होने तथा सूचना सिंचाई विभाग द्वारा नहर को ठीक करने हेतु कानून व्यवस्था को मध्यनजर रखते वहां पर जाने तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार से कोई तोड फोड नुकसान कारीत नहीं करने तथा आदेश के संबंध में जानकारी हेतु सिंचाई विभाग से प्राप्त करने के संबंध में लो.सू.अधि. तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर देने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदार, रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद